रजिस्ट्री सं० डी० एल-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, अप्रैल 17, 2003/चैत्र 27, 1925
No. 364] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 17, 2003/CHAITRA 27, 1925

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2003

का.आ. 444(अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 5 के साथ पठित चाय अधिनियम, 1953 (1953 का 29) की धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत में उत्पादित और विशेष आर्थिक जोन की यूनिटों द्वारा निर्यात की गई सभी चाय को लोकहित में उप-कर के उद्ग्रहण और संग्रहण से छूट देती है।

[फा. सं. टी-29012/1/2000 प्लांट (ए)]

एल. वी. सप्तऋषि, अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2003

S.O. 444(E).—In exercise of the powers conferred by Section 25 of the Tea Act, 1953 (29 of 1953) read with Section 5A of the Central Excise Act, 1944 (1 of 1944), the Central Government hereby exempts, in public interest, all tea produced in India and exported by the units in the special economic zones from the levy and collection of cess.

[F. No. T-29012/1/2000-Plant(A)]

L. V. SAPTHARISHI, Addl. Secy.

1132 GI/2003

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.